1.

<u>अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गिरिडीह</u>

<u>AB.P.No-436/2022</u>

<u>CNR. No-JHGR01-001656-2022</u>

राज्य

बनाम

1. बिरजू पासवान, पिता दामोदर पासवान,
2. पवन पासवान, पिता प्रयाग पासवान,
3. सुनील पासवान, किशुन पासवान,
4. रोहित पासवान उर्फ रोहित कुमार पासवान, पिता प्रयाग पासवान,
5. रंजीत पंडित उर्फ रंजीत प्रसाद, पिता बसंत पंडित उर्फ बसंत नारायण पंडित,
6. रवि पंडित उर्फ रविरंजन कुमार, पिता दुर्गालाल पंडित उर्फ दुर्गालाल प्रसाद,
7. रणवीर पंडित उर्फ रणवीर प्रसाद, पिता दुर्गालाल पंडित उर्फ दुर्गालाल प्रसाद,
8. मनिष पंडित उर्फ मनिष कुमार, पिता सदानन्द पंडित उर्फ सदानन्द प्रसाद,
9. बिट्टु ठाकुर, पिता जागेश्वर ठाकुर,
10. मुरली पासवान, पिता प्रयाग पासवान,
11. सुजीत पासवान, पिता प्रयाग पासवान

.....आवेदकगण।

29/06/2022 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन उक्त आवेदकगण के तरफ से धनवार थाना कांड सं0–35/2022, दिनांक 16.02.2022 भा0दं0वि0 की धारा 147/452/323/354बी/384/379/307 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है जिसकी प्रति अभियोजन को प्रदान की गयी है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण निर्दोष है और प्राथमिकी के अनुसार कोई अपराध नहीं किये हैं। आवेदकगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 307,384 का आरोप नहीं बनता है। पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में सूचक की पत्नी एवं उसका पुत्र ने

<u>लगातार</u>

2.

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गिरिडीह
AB.P.No-436/2022
CNR. No-JHGR01-001656-2022

लगातार

29/06/2022 –आवेदकगण द्वारा उसकी पत्नी का साड़ी खींचने एवं ब्लाउज फाड़ने के संबंध में कुछ नहीं कहा है। आवेदकगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 379 का आरोप सामान्य प्रकृति का है। वर्तमान वाद परिवाद पत्र पर संस्थित किया गया है। आवेदकगण की भागने की संभावना नहीं है और पर्याप्त प्रतिभु देने को तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन वाद वादी/सूचक नागेश्वर ठाकुर का परिवाद पत्र सं0–1361/20 के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 16.05.2020 को शाम चार बजे अपने घर में था कि अचानक उक्त सभी आवेदकगण एक राय होकर उसके घर में जबरदस्ती घुस गये और गाली गलौज करने लगे और बोलने लगे कि हमलोग मछली मारे थे तो तुमने क्यों जितन बैठा को कह दिया जिसपर अभियोगी ने कहा कि गाली गलौज मत करो तब बिरजु पासवान जाने मारने की नियत से सूचक का गला दबाने लगा तब सूचक का लड़का नितेश कुमार शर्मा उसे बचाने आया तो उसे रंजीत पंडित और रणवीर पंडित ने पटक कर लात–घुस, रड से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब सूचक की पत्नी अवंती देवी बचाने आई तो सुनील पासवान और

लगातार

3.

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गिरिडीह

AB.P.No-436/2022

CNR. No-JHGR01-001656-2022

लगातार

29/06/2022 –मनीष पंडित ने बुरी नियत से उसे पकड़कर लप्पड़–थप्पड़ किया और ब्लाउज फाड़ दिया एवं साड़ी खींच दिया जिससे वह अर्धनग्न हो गई और बाकी अभियुक्तों ने घर में गगरा, लोटा, गिलास करीब दस हजार रूपये का उठाकर ले गया और सभी अभियुक्त बोले कि यहां मार नहीं सकेंगे इसे गांव से बाहर ले चलो। अभियोजन वाद आगे यह भी है कि सभी अभियुक्तगण सूचक को घसीटते हुये गांव के सड़क किनारे ले गये और उसके साथ लाठी से मारपीट किये। बिरजु पासवान ने रड से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया और सभी ने उसके साथ मारपीट किये जिससे उसका दॉत टूट गया और जीभ में छेद हो गया। तब गांव के लोग जमा हो गये तब सूचक का जान बचा।

सूचक का परिवाद पत्र के आधार पर धनवार थाना कांड सं0–35/2022, दिनांक 16.02.2022 भा0दं0वि0 की धारा 147/452/323/354बी/384/379/307 के अन्तर्गत उक्त आवेदकगण के विरूद्ध अंकित किया गया है।

कांड दैनिकी का पारा–7 में सूचक ने अभिकथित घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी का पारा–10 में सूचक का बेटा नितेश कुमार एवं पारा–11 में सूचक की पत्नी अवंती देवी ने आवेदकगण द्वारा सूचक की पत्नी का ब्लाउज फाड़ने एवं साड़ी खींचने की बात नहीं कहें हैं। कांड दैनिकी का पारा–31 से स्पष्ट होता है कि चिकित्सक द्वारा सूचक का नाक में चोट तथा शरीर में दर्द पाया गया है। भा0दं0वि0 की धारा 379 का आरोप आवेदकगण के विरूद्ध विशिष्ट रूप से नहीं है।

लगातार

4.

<u>अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गिरिडीह</u>
<u>AB.P.No-436/2022</u>
<u>CNR. No-JHGR01-001656-2022</u>

<u>लगातार</u>

<u>29/06/2022</u> –अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त आवेदकगण द्वारा इस आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा उनकी गिरफ्तारी की दशा में उनके तरफ से दस हजार रुपया का बंध–पत्र एवं समान राशि का दो संतोषप्रद प्रतिभू निष्पादित किये जाने पर उन्हें द0 प्र0 सं0 की धारा 438 (2) में अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
गिरिडीह।